29/9/23 | पत्रावली पेश हुई। ... आज ... होकर ... आइन्दा 6/10/23 को पेश हो।

6/10/23 | पत्रावली पेश हुई। ... एक कार्य दिवस ... 2023 आज ... होकर ... पत्रावली आइन्दा 13/12/23 को पेश हो।

13/12/23 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण विपक्षी नं.
1ता5 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित।
विपक्षी सं. 6ता25 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
की जाती है। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों के
प्रार्थना पत्र O39R-7 CPC पर बहस सुनी गयी।
वकील विपक्षी नं. 1ता4 द्वारा उनका प्रार्थना पत्र
O39R-7 CPC के विवादित भूमि के बंटवारे पर
आपत्ति जाहिर कर मौका रिपोर्ट तलब कराने
का विरोध किया है कि बंटवारा के अनुसार है
तो अपील प्रचलित है। रेवन्यू प्रकरण में
मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित नहीं
होने से प्रार्थना पत्र O39 R.7 CPC अस्वीकार कर
खारिज किया जाता है। दोनों पक्षों के वकीलों के
मूल आवेदन पर बहस सुनी गयी। आदेश अलग से
लिखकर जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश
की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने
पर मिसिल पत्रावली की जांच/पत्रावली विधि अनुसार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 20 / 2023

प्रार्थीनी :–

1. चुन्नीदेवी पत्नी रामलाल
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी हाल ईटादा तहसील सांचोर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र वगताराम
2. शांतिदेवी पत्नी वगताराम
3. शांतिदेवी पत्नी भागीरथराम
4. सीमादेवी पत्नी वागाराम
5. चूनाराम पुत्र वीरमाराम
6. बाबू पुत्र हरदानराम
7. भगाराम पुत्र हरदाराम
8. जोधाराम पुत्र लुम्बाराम
   जाति विश्नोई तहसील गुडामालानी
9. हनुमानदास पुत्र बाबूदास जाति संत निवासी लुम्बावास तहसील गुडामालानी
10. बेरियालसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी बारूडी तहसील गुडामालानी
11. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर
12. पूनमाराम पुत्र वीरमाराम जाति विश्नोई
13. जबरसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत
14. जगदीशदास पुत्र केसदास जाति संत
15. जानकीदास पुत्र केसदास जाति संत
16. संतोकदास पुत्र केसदास जाति संत
17. सांवलदास पुत्र केसदास जाति संत
18. अगराराम पुत्र लाधाराम जाति मेगवाल
19. चतराराम पुत्र दोलाराम मेगवाल
20. नगाराम पुत्र लाधाराम मेगवाल
21. बाबू पुत्र दोला मेगवाल
22. राजा पुत्र दोला जाति मेगवाल
23. पेलाद पुत्र सुरता मेगवाल
24. पताराम पुत्र हरदानराम जाति विश्नोई
25. हुकमाराम पुत्र हरदानराम जाति विश्नोई
    निवासी गांव बारूडी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**
2. **श्री पूनमाराम विश्नोई अधिवक्ता विप्राथी सं. 1 ता 5**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13/12/23

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीनी के आवेदन का कोई जबाव पेश नहीं किये

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

जाने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम बारूडी के खेत खसरा नम्बर 481/238 रकबा 3.2375 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम बारूडी के खेत खसरा नम्बर 481/238 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा** को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13/12/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई, कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

:: वाद / 2023 / 1810 दिनांक : 13/12/23

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

चुन्नीदेवी **ओमप्रकाश वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......20 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **13.12.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **बारूडी पटवार हल्का भाखरपुरा** के खेत खसरा नम्बर 481 / 238 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, रतनपुरा**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी
दिनांक : 13/12/23

क्रमांकः वाद / 2023 / 1811-1813
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **रतनपुरा**
4. हल्का पटवारी....**भाखरपुरा..** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........चुन्नीदेवी पत्नी रामलाल
6. विप्रार्थीगण.......ओमप्रकाश वगैरा

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी